अध्याय-V: ग्राहकों के खातों का अनुरक्षण

5.1 खातों का अनुरक्षण

लेखांकन प्रक्रिया की नियम-पुस्तिका क.भ.नि. योजना के अंतर्गत प्रतिष्ठानों तथा कर्मचारियों के सदस्य मास्टर फाइलों के अनुरक्षण, भ.नि. सदस्यों के रूप में नामांकित कर्मचारियों के विवरणों तथा डाटा के अनुरक्षण, उनके समापन तथा नामांकन हेतु निर्धारित लेखांकन की प्रणाली की व्यवस्था करता है।

5.2 ऋणात्मक शेष

ग्राहकों के खाते एक विशेष तिथि को एकत्रित शेष दर्शाते हैं। सावधानी की दृष्टि से ग्राहकों के खाते सदैव धनात्मक होने चाहिए। तथापि, अभिलेखों के अंत शेषों की जाँच से ग्राहकों के खाते में निम्नानुसार ऋणात्मक शेष दिखायी दिये (31 मार्च 2012):

तालिका 5.1: ऋणात्मक शेषों के विवरण

राज्य	क्षे.का./उ.क्षे.का. के नाम	ऋणात्मक शेष वाले ग्राहक खातों की संख्या	इन खातों में ऋणात्मक शेषों की कुल राशि (₹ करोड़ में)
पंजाब	क्षे.का. चंडीगढ़	9341	10.23
पश्चिम बंगाल	क्षे.का. कोलकाता, उ.क्षे.का. पार्क स्ट्रीट	3776	6.27
ओडिशा	उ.क्षे.का. क्योंझर	160	0.04
मध्य प्रदेश	क्षे.का. इंदौर	19291	13.51
केरल	क्षे.का. तिरूवनंतपुरम	4541	1.60
कर्नाटक	क्षे.का. मंगलौर	3958	1.51
	क्षे.का. मैसूर	1236	0.63
गुजरात	क्षे.का. अहमदाबाद	27874	11.27
कुल		**70177**	**45.06**

ऋणात्मक शेष का दिखना खाते में उपलब्ध शेष से अधिक आहरण का संकेतक है। ग्राहक खातों से अप्राधिकृत आहरणों/अतिरिक्त भुगतान की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

क.भ.नि.का. ने बताया (सितम्बर 2012) कि फील्ड कार्यालयों को ऋणात्मक शेषों की पहचान एवं उनका निपटान करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, अधिभुगतान समिति को ऐसे ऋणात्मक शेषों के कारणों की पहचान करने का कार्य सौंपा गया है। पदाधिकारियों की तरफ से किसी असावधानी के परिणामतः होने वाले किसी ऋणात्मक शेष के मामले में, संबंधित पदाधिकारी से वास्तविक राशि की वसूली की सिफारिश की गयी है।

5.3 खातों के अंतरण

जब कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ते हैं, क.भ.नि.का संबंधित क्षे.का./उ.क्षे.का. को शेषों के अंतरण की सुविधा प्रदान करता है। लेखांकन प्रक्रिया (भाग IIक एवं ख) की नियम-पुस्तिका का पैरा 11.3 प्रावधान करता है कि स्थानांतरण आवेदन का यथासमय निपटान किया जाए और आवेदन के संपूर्ण रूप में प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर अंतरण प्रभावी किया जाए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2006-12 की अवधि के दौरान, निम्नलिखित राज्यों में चयनित क्षे.का./उ.क्षे.का. में, 81531 मामले में क्षे.का./उ.क्षे.का. से निधियों का अंतरण अन्य क्षे.का./उ.क्षे.का. को नहीं हुआ था। विवरण निम्नानुसार:

तालिका 5.2: मामलों की संख्या जहाँ निधियों का अंतरण नहीं हुआ

राज्य	मामलों की संख्या जहाँ निधियों का अंतरण नहीं हुआ
मध्य प्रदेश	6337
तमिलनाडु	43658
हरियाणा	11439
पंजाब	6667
गुजरात	7546
छत्तीसगढ़	929
पश्चिम बंगाल	4955
कुल	**81531**

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि अकेले पश्चिम बंगाल (क्षे.का. कोलकाता) में ही, 2006-11 की अवधि में 4955 प्रतिष्ठानों से प्राप्त ₹ 665.63 करोड़ का अंशदान, क्षे.का./उ.क्षे.का. को अंतरित किया जाना अभी (जनवरी 2013) तक शेष था जिनके क्षेत्राधिकार में नये नियोक्ता पड़ते थे।

क.भ.नि.सं. ने अपने जवाब में (सितम्बर 2013) अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि आवेदन सॉफ्टवेयर में तथा प्रपत्र 13 (संशोधित) में किये गये हालिया परिवर्तन, एक खाते से दूसरे खाते में ऑनलाइन हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज कर देंगे।

5.4 निष्क्रिय/अदावित जमा खाता

उस सदस्य से संबंधित कोई राशि, जो अब नियुक्त नहीं है अथवा मृत है परंतु तीन वर्ष तक कोई दावा नहीं किया गया, जो नवीनतम पते के अभाव में भेजी न जा सकी, अथवा प्रेषित की गयी परंतु वापस प्राप्त हुई राशि को निष्क्रिय खाते (क.भ.नि. योजना का पैरा 72(6)) में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, नियोक्ता ट्रेड यूनियनों के माध्यम से, यथाशीघ्र देयताओं के वितरण हेतु (लेखांकन प्रक्रिया की नियम-पुस्तिका भाग II क एवं ख का पैरा 6.5.4) आदाता से संपर्क करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब तथा राजस्थान राज्यों में चयनित क्षे.का./उ.क्षे.का. से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा ने उद्घटित किया कि निष्क्रिय/अदावित जमा खातों के शेष राशि अप्रैल 2006 के ₹ 332.14 करोड़ से नौ गुणा बढ़कर मार्च 2012 में ₹ 2948.11 करोड़ हो गयी। विवरण नीचे दिये गये हैं:-

तालिका 5.3: अदावित जमाएं

(₹ लाख में)

वर्ष	अथ शेष	हस्तांतरित राशि	समायोजित राशि	अंत शेष
2006-07	33214.11	51.54	12222.16	21043.49
2007-08	21043.49	241.35	2288.47	18996.37
2008-09	18996.37	17207.64	5307.51	30896.50
2009-10	30896.50	24024.84	5680.79	49240.55
2010-11	49240.55	98287.71	31281.00	116247.26
2011-12	116247.26	190172.20	11608.81	294810.65

इसके अतिरिक्त, निष्क्रिय खातों की संख्या 2006-07 के 25,12,793 से बढ़कर 2011-12 में 73,00,262 हो गयी। इस प्रकार, 31 मार्च 2012 तक, क.भ.नि.सं. के पास उसके कुल 8.55 करोड़ खातों का 8.53 *प्रतिशत* निष्क्रिय खातों के रूप में था। विवरण नीचे दिये गये हैं।

तालिका 5.4: निष्क्रिय/अदावित खातों की संख्या

वर्ष	क्षेत्रीय स्तर	उप-क्षेत्रीय स्तर	कुल निष्क्रिय खाते
2006-07	1312395	1200398	2512793
2007-08	1752870	1248746	942632
2008-09	1358488	2599723	609718
2009-10	4905130	3726016	2298280
2010-11	6345082	6587634	3365348
2011-12	9416961	5356698	7300262

इस प्रकार, अदावित खातों तथा निष्क्रिय खातों में तीव्र वृद्धि दर्शाती है कि ग्राहकों की जमा राशि को समय से लौटाने या हस्तांतरित करने पर क.भ.नि.सं. पर्याप्त नियंत्रण नहीं था।

क.भ.नि.सं. ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2013) कि मुद्रित एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सदस्यों को उनकी निष्क्रिय राशि को निकालने अथवा अपने वर्तमान चालू खाते में हस्तांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करने मे लिए एक जनजागरूकता कार्यक्रम बनाया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रपत्र 13 (खातों के हस्तांतरण) तथा एक खाते से दूसरे खाते में ऑनलाइन हस्तांतरण (प्रपत्र-13) में भी हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए परिवर्तन किया गया है।

अनुशंसा: *क.भ.नि.सं. यह सुनिश्चित करने के लिए कि निष्क्रिय खातों की संख्या न्यूनतम की जाए, सतत निगरानी तथा नियंत्रण का एक तंत्र विकसित करे।*

5.5 खातों का गैर-अद्यतन

यह अपेक्षित है कि खातों को नवीनतम योगों तथा आहरणों के साथ अद्यतित किया जाए, तथापि यह देखा गया कि क.भ.नि.सं. के पास ऐसे खातों की एक बड़ी संख्या है जो अद्यतित नहीं किये गये थे। 2006-07 से 2011-12 की अवधि के दौरान अद्यतित नहीं किये गये/अद्यतित खातों की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 5.5: गैर अद्यतित खाते *

(आंकड़े: करोड़ में)

	31 मार्च 2007 तक	31 मार्च 2008 तक	31 मार्च 2009 तक	31 मार्च 2010 तक	31 मार्च 2011 तक	31 मार्च 2012 तक
खातों की कुल संख्या	8.37	7.55	10.11	11.25	13.35	17.01
अद्यतित खाते	5.25	3.94	5.85	6.53	6.07	16.62
गैर-अद्यतित खाते	3.12	3.61	4.26	4.72	7.28	0.39
कुल खतों के समक्ष गैर-अद्यतित खातों की प्रतिशतता	(37%)	(48%)	(42%)	(42%)	(55%)	(2%)

* क.भ.नि.सं. एक वर्ष के खाते को अद्यतन हेतु एक खाता मानता है।

इस प्रकार, इसके लाभार्थियों के खाते का एक बड़ा हिस्सा, अपर्याप्त सेवा को दर्शाते हुए, 2010-11 तक प्रत्येक वर्ष के अंत में, अद्यतित होने से रह गये थे।

वित्त मंत्रालय के निर्देशों (मार्च 2011) के आधार पर, क.भ.नि.सं. ने 2011-12 के दौरान 16.62 करोड़ खाते अद्यतित किये थे। अभी भी, 31 मार्च, 2012 तक 38.74 लाख खाते अद्यतित नहीं हुए।

क.भ.नि.सं. ने बताया (सितम्बर 2013) कि वित्त मंत्रालय तथा नि.म.ले.प. की अभ्युक्तियों पर विचार करने के बाद इसने वर्ष 2011-12 के दौरान अपने सभी लंबित खातों को 31 मार्च 2012 तक अद्यतित करने का एक विशेष अभियान शुरू किया है। विशेष अभियान तथा केन्द्रित प्रयासों के कारण, वर्ष 2010-11 तक के लिए बहुसंख्यक सदस्यों के खाते अद्यतित कर लिए गए थे जिससे 31 मार्च 2013 तक केवल 5.58 लाख खाते ही शेष रह गये थे।

***अनुशंसा**: ग्राहकों के खातों का अद्यतन नियमित आधार पर किया जाए।*